भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 612

उत्तर देने की तारीख 25.07.2024

एमएसएमई क्षेत्र के तहत जनजातियों के लिए रोजगार सृजन

612. **डॉ. नामदेव किरसानः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास एमएसएमई क्षेत्र के तहत जनजातियों के लिए नौकरी के अवसर सृजित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातियों को उनके गांवों और आस-पास के इलाकों में या कहीं और नौकरियां प्रदान की जाएंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र के जनजाति बहुल गांवों में स्थापित किए जाने वाले व्यापक सूक्ष्म और लघु उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): सरकार अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय समुदायों सहित देश में बेरोज़गार युवाओं के लाभ के लिए अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना के लिए देश भर में उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु पीएमईजीपी का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन करने हेतु पात्र है। इसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोज़गार युवाओं को स्व-स्थाने रोज़गार अवसर उपलब्ध कराना है।

पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है जो सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करती है। विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों, ट्रांसजैंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। इसके अतिरिक्त, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए स्व-अंशदान राशि परियोजना लागत का 10% है, वहीं विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए स्व-अंशदान राशि 5% है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रु. है और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रु. है।

विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों से संबंधित सहायता-प्राप्त सूक्ष्म-उद्यमों की संख्या, उनको संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और इन इकाइयों द्वारा सृजित रोज़गार अवसर निम्नलिखित हैं:

वित्तीय वर्ष	अखिल भारत (अनुसूचित जनजाति)			ग्रामीण क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति)		
	सहायता-प्राप्त इकाइयां	सृजित अनुमानित रोज़गार	एमएम सब्सिडी (रु. करोड़)	सहायता-प्राप्त इकाइयां	सृजित अनुमानित रोज़गार	एमएम सब्सिडी (रु. करोड़)
वित्तीय वर्ष 19-20	6,020	48,160	122.30	5,402	43,216	112.64
वित्तीय वर्ष 20-21	5,497	43,976	127.09	4,994	39,952	117.37
वित्तीय वर्ष 21-22	7,225	57,800	163.94	6,497	51,976	150.43
वित्तीय वर्ष 22-23	4,850	38,800	133.48	4,300	34,400	120.22
वित्तीय वर्ष 23-24	4,681	37,448	169.09	4,018	32,144	149.85

विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के संबंध में महाराष्ट्र में पीएमईजीपी का कार्य-निष्पादन निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	महाराष्ट्र			महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्र		
	सहायता-प्राप्त इकाइयां	सृजित अनुमानित रोज़गार	एमएम सब्सिडी (रु. करोड़)	सहायता-प्राप्त इकाइयां	सृजित अनुमानित रोज़गार	एमएम सब्सिडी (रु. करोड़)
2019-20	112	896	1.39	103	824	1.29
2020-21	92	736	1.66	82	656	1.52
2021-22	113	904	3.35	98	784	2.99
2022-23	91	728	2.06	82	656	1.91
2023-24	79	632	2.54	70	560	2.26

ii. **उद्यम और उद्यम सहायता मंच (यूएपी) पोर्टल:** सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2020 से व्यापार करने में आसानी के लिए एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण" और दिनांक 11.01.2023 को उद्यम सहायता मंच शुरू किया था, ताकि अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक उद्यमों में परिवर्तित किया जा सके।

अखिल भारतीय और महाराष्ट्र राज्य के लिए उद्यम और यूएपी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले पंजीकृत एमएसएमई और दर्ज रोजगार की कुल संख्या निम्नलिखित है:

अखिल भारत		
मंच	**कुल पंजीकरण (सं.)**	**रोज़गार**
उद्यम	7,60,851	57,58,623
यूएपी	7,82,567	8,55,286
कुल:-	**15,43,418**	**66,13,909**
महाराष्ट्र		
मंच	**कुल पंजीकरण (सं.)**	**रोज़गार**
उद्यम	82,436	3,78,392
यूएपी	76,232	78,958
कुल:-	**1,58,668**	**4,57,350**

*दिनांक 22/07/2024 की स्थिति के अनुसार

iii. **ऋण गारंटी स्कीम:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन भी कर रहा है, ताकि विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 85% तक की गारंटी छत्र के साथ एमएसई को 500 लाख रु. (दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी) की सीमा तक गिरवी मुक्त ऋण प्रदान किया जा सके।

वर्ष 2000 में स्कीम की शुरुआत से, दिनांक 30.06.2024 तक, 6.78 लाख करोड़ रु. की राशि की 91.76 लाख गारंटियां स्वीकृत की गईं। पहली बार, वर्तमान वित्त वर्ष -2023-24 में, गारंटी छत्र 2.00 लाख करोड़ रु. से भी अधिक हो गया है।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए सीजीटीएमएसई में स्वीकृत गारंटियों की संख्या और शामिल राशि निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष	**अखिल भारत**		**महाराष्ट्र**	
	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	**राशि (रु. करोड़)**	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**राशि (रु. करोड़)**
2019-20	5681	246.60	198	11.92
2020-21	11960	313.88	298	7.08
2021-22	13396	427.65	232	9.69
2022-23	21849	919.62	513	26.69
2023-24	27926	1518.60	1363	64.46

iv. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति):

स्फूर्ति स्कीम वर्ष 2005-06 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करने के माध्यम से परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाना है ताकि उनको दीर्घकालिक स्थायित्व और बड़े पैमाने के उद्यमों में परिवर्तित करने हेतु सहायता प्रदान की जा सके। वर्ष 2014-15 में, इस स्कीम का नवीकरण किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य कारीगरों की आय में सतत वृद्धि के दृष्टिकोण के साथ मूल्य-वर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए परंपरागत कारीगरों को पैमाने के आधार पर समूहों में संगठित करना है।

वित्तीय सहायता:

- 500 कारीगरों तक के नियमित क्लस्टरों के लिए 2.5 करोड़ रु.
- 500 से अधिक कारीगरों वाले प्रमुख क्लस्टरों के लिए 5.0 करोड़ रु.

स्फूर्ति के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत क्लस्टरों का ब्यौरा

वर्ष 2015-16 से, स्फूर्ति के अंतर्गत भारत सरकार की कुल 121.41 करोड़ रु. की सहायता के साथ कुल 513 क्लस्टर अनुमोदित हुए हैं, जिससे 24,126 परंपरागत कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। इनमें से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत 50 क्लस्टर हैं, 34 क्लस्टर वर्तमान में कार्यरत हैं और और इनसे 15,585 कारीगरों को स्थायी रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

भारत सरकार की 1.61 करोड़ रु. की सहायता के साथ महाराष्ट्र में वर्ष 2020 में, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत वर्धा बांस क्लस्टर का अनुमोदन किया गया है, जिससे 229 कारीगर लाभान्वित हुए हैं।

v. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच):** यह एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में शुरु किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य एससी-एसटी उद्यमियों की क्षमता में वृद्धि करना और एससी-एसटी आबादी के बीच "उद्यमिता संस्कृति" का संवर्धन करना है। एनएसएसएच स्कीम एससी-एसटी आबादी का सशक्तिकरण कर रही है ताकि वे सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में सहभागिता करके और मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत एससी-एसटी उद्यमों से 4% खरीद के अधिदेशित लक्ष्य की पूर्ति कर सकें।

स्कीम की शुरूआत से अब तक, अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित कुल 28978 लाभार्थियों ने एनएसएसएच योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है और इनमें से 2579 लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य से हैं।

vi. कयर विकास योजना (सीवीवाई)

कयर विकास योजना एक छत्र स्कीम है, जिसके छह उप-स्कीम घटक हैं, जिनको भारत में कयर उद्योग के समग्र और सतत विकास के उद्देश्य से एकीकृत किया गया है। सीवीवाई स्कीम के अंतर्गत, क्रियाकलापों में अनुसंधान एवं विकास, कारीगरों का कौशल विकास, आधुनिकीकरण, उन्नयन और नई इकाइयों की स्थापना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, घरेलू और निर्यात बाजार को बढ़ावा देना, व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं प्रदान करना और कयर श्रमिकों का कल्याण जैसे कार्यकलापों की वृहत् स्तरीय परिकल्पना की गई है। एसटी लाभार्थियों का विवरण निम्नलिखित है:-

प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या					
वित्त वर्ष 2021-22	**अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की संख्या**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की संख्या**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की संख्या**
4755	726	2794	242	4193	548

***